

K. Ghosh

27/1/82

पुलिस अधीन 254 / 95

राज्य के विभिन्न जिला कारखानों अधीक्षकों की द्वारा अपनी याचिका
 प्राप्त किए जाने सम्बन्धित शर्तों के प्रति उदासीनता से और विन्ता का विषय बनती
 है। क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक तथा प्रेक्षणीय आरक्षी महानिरीक्षक
 को समस्या पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रख रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा
 जिला कारखानों अधीक्षकों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कई स्मार पत्र दिये जा
 चुके हैं फिर भी अधिकांश अधिकारीगण इस पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं।
 अतः उनमें कार्यो को जल्दी पूर्णतः पुलिस मुख्यालय स्तर पर नहीं हो पाता है।
 इस समस्या का एक पदमूलक पदमूलक यह भी है कि किसी पद पर पदस्थापित
 पदाधिकारी का पदमूलक कार्य निष्पत्ति प्राप्त करने हेतु पदाधार करते करते उनका
 उत्तराधिकारी भी हो जाता है, उसके बाद उस पदाधिकारी के संबंध में
 पदाधार रूप में पदमूलक है क्योंकि उनका उत्तराधिकारी तब तक अपने कार्य-
 काल के संबंध में ही उत्तर दे सकता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक अपचारी
 पदाधिकारी डेबिता हो जाते हैं।

अतः इस समस्या के निराकरण और सुधार लाने हेतु निर्णयित
 कार्रवाई की जाती है :-

§18 1980 में उनके नौके के तब के सभी पदाधिकारी एक विवरणों
 पुलिस मुख्यालय भेजे, जिनमें के प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने जनवरी 93 में अब तक
 अपने प्रतिक्रिया की सम्बन्धित कार्य निष्पत्ति सम्पन्न की है, यदि वे नहीं भी
 सम्पन्न रहे हों। उनके बाद उनके द्वारा यह विवरणों प्रत्येक वर्ष अप्रैल
 माह में भेजी जायगी।

§21 सभी जिला अधीक्षक /अपर आरक्षी अधीक्षक /सहायक आरक्षी
 अधीक्षक को मातृक कार्य निष्पत्ति लिखित उनके क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक एवं
 प्रेक्षणीय आरक्षी महानिरीक्षक को सम्पन्न की जायगी कि जिसकी एक प्रति
 पुलिस मुख्यालय को भेजी जायगी।

§33 प्रत्येक प्रेक्षणीय आरक्षी महानिरीक्षक की वह जिम्मेदारी होगी
 कि वे अपने जिले के सभी आरक्षी अधीक्षकों /अपर आरक्षी अधीक्षकों /सहायक
 आरक्षी अधीक्षकों की याचिका कार्य निष्पत्ति को याचिका समीक्षा कर उन्हें
 पूर्णतः के साथ हर वर्ष पुलिस मुख्यालय भेजें। इस समीक्षा के साथ प्रेक्षणीय
 आरक्षी महानिरीक्षक प्रत्येक पदाधिकारी को याचिका कार्य निष्पत्ति को एक
 प्रति मुख्यालय को भेजें।

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

May 09
31
30
17
18
24
25
4
11
18

848 विहार राज्य पुलिस
 आरक्षी के अन्य सभी पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि आरक्षी महाविद्यालय में प्रशासनिक कार्य चितरणों को तैयार करने के लिए पर सुशालय को सूचित है।
 यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा। जहाँ जहाँ प्रकाशित नहीं है, वहाँ पर सुदृष्ट पाये जाने पर संशोधित प्रकाशित प्रतियों पर सुशालय को सूचित करने के लिए प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता है।

डी. पी. जी. शीरे
 महाविद्यालय एवं आरक्षी महाविद्यालय
 हाफांक 2715/ए-1
 43-60-1-1-1-1

महाविद्यालय एवं आरक्षी महाविद्यालय का कार्यालय, पटना, पटना
 पटना, दिनांक 24/5/25

- प्रतिपादित :- सभी आरक्षी अधीक्षक / सभी ज्वर आरक्षी अधीक्षक / सभी महाविद्यालय आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं।
1. सभी रेल आरक्षी अधीक्षक / एयर रेल आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं।
 2. सभी आरक्षी आ/सभी आरक्षी आ-सभी आरक्षी अधीक्षक, गैर आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
 3. सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
 4. सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
 5. सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।
 6. सभी आरक्षी अधीक्षक को सूचनाएं एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

(Signature)
 महाविद्यालय एवं आरक्षी महाविद्यालय